

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 15/2020 RCMS 2020/00034

वादीया

1. रूकमा देवी पत्नी जगदीश जाति मेहरा (कीर) निवासी सरगोट तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजूराम पुत्र जगदीश
2. रतनलाल पुत्र जगदीश
3. नन्दाराम पुत्र जगदीश
4. औमप्रकाश पुत्र जगदीश
5. बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति मेहरा (कीर) निवासीगण सरगोट तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रामनिवास अधिवक्ता वादीया की ओर से।


निर्णय

दिनांक :- 14.10.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीया एवं प्रतिवादी 1 से 5 के पूर्वज स्व. गिरधारी एवं गंगादेवी क पुत्रवधू एवं मृत पुत्र के पुत्र अर्थात पोते हैं, गिरधारी एवं गंगादेवी तथा वादी -प्रतिवादी 1 से 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की मिताक्षर शाखा से शासित होते हैं, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पति एवं पिता श्री जगदीश के गिरधारी जो पिता अर्थात दादाजी एवं गंगादेवी माता अर्थात दादी है, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पूर्वज श्री गिरधारी एवं गंगादेवी के एकमात्र पुत्र सन्तान जगदीश जी थे, श्री गिरधारी जी का दिनांक 28.07.1988 को एवं गंगादेवी का दिनांक 07.10.1995 एवं श्री जगदीश पुत्र गिरधारी का दिनांक 20.05.2015 को देहांत हो चुका है, गिरधारी का खानदान निम्नवत है :-




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



वादी के ससुर एवं सास एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के दादा एवं दादी की ग्राम सरगोट के खसरा नम्बर 398 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकीन कुआ, खसरा नम्बर 399 रकबा 8.79 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम में वादी की सास अर्थात प्रतिवादी सं. 1 से 5 की दादी जी का 1/8 हिस्सा अर्थात 1.10125 हैक्टर खातेदारी दर्ज है, वादी की सास गंगादेवी का देहान्त हो चुका है, ग्राम सरगोट के खसरा नम्बर 968 रकबा 1.87 हैक्टर खसरा नम्बर 969 रकबा 0.88 हैक्टर खसरा नम्बर 970 रकबा 3.15 हैक्टर कुल रकबा 5.90 हैक्टर में वादी क ससुर श्री गिरधारी पुत्र मेघाराम की 54/295 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 920 रकबा 0.82 हैक्टर में 1/4 हिस्सा गिरधारी पुत्र मंगाराम की अन्य सह खातेदार के साथ खातेदारी कब्जासुदा कृषि भूमि अवस्थित है। जिस पर निरन्तर वे काश्त करते आ रहे हैं। पक्षकारान गिरधारी एवं गंगादेवी के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, उनके पश्चात बाई आपरेशन ऑफ लॉ बतौर वारिस अपने पैतृक हक हिस्से की आई सह खातेदारी की उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी 1 से 5 के ही अनन्य संयुक्त कब्जे काश्त भौतिक रूप से रहने से वादी के हक मे हो जाने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 स्वतः ही खातेदार कृषक है, बिनाय दावा दिनांक 14.01.2020 को उक्त आराजियान के चालू रेकर्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त होने एवं गिरधारी एवं गंगादेवी एच उनके पुत्र सन्तान जगदीश पुत्र गिरधारी के स्वर्गवास को काफी वक्त गुजर जाने के बाद वादी के साथ रेकर्ड में प्रतिवादी 1 से 5 उत्तराधिकारी की हैसियत से रेकर्ड एवं घोषणार्थ का दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि इस आशय की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि मौजा ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 398 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 399 रकबा 8.79 हैक्टर 1/8 हिस्सा अर्थात 1.10125 हैक्टर खसरा नम्बर 968 रकबा 1.87 हैक्टर खसरा नम्बर 969 रकबा 0.88 हैक्टर खसरा नम्बर 970 रकबा 3.15 हैक्टर कुल रकबा 5.90 हैक्टर का



उत्तराधिकारी
(पुत्र)

54/295 हिस्सा खसरा नम्बर 920 रकबा ~~3.57~~^{0.82} हैक्टर में 1/4 हिस्से पर गिरधारी गंगादेवी के एकमात्र पुत्र सन्तान जगदीश के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बहैसियत वारिस काबिज खातेदार है तथा उक्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम का इस माफिक अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी सं. 6 को आदेश फरमावें। उक्त वाद विषयक कृषि आराजी में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार मजाहत एवं मदाखलत नही करने इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पांबद फरमावें।

वाद वादीया दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया की ओर से चालू जमाबंदी सम्वत 2073-2076 ग्राम सरगोठ के खाता संख्या 48, 115 एवं पदमपुरा के खाता सं. 124 की नकल प्रस्तुत की, जगदीश, गिरधारी एवं गंगादेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, जगदीश के आधार कार्ड 694197739907 की छाया प्रति, जगदीश के पहचान पत्र RJ/25/196/585405 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति, खतौनी बन्दोबस्त खसरा नम्बर 532, 533 सम्वत 2008 से 2027 की प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्वत 2011 से 2014, 2015-2018, 2019-2022, 2023-2026, 2027-2030, 2034-2037, 2038-2041, जमाबंदी खेवट खतौनी की प्रमाणित प्रति, सम्वत 2008 से 2027 खेवट खतौनी खसरा नम्बर 277, 295, 144, 297, 278 की नकल, सम्वत 2038-2041, 2011-2014, 2015-2018, 2019-2022, 2023-2026, 2027-2030, 2031-2034, 2034-2037, की प्रस्तुत की है।

मौखिक साक्ष्य में वादीया का स्वयं का शपथ-पत्र, गवाह मंगनीराम पुत्र छोगाराम माली पदमपुरा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पूर्वज दादा एवं दादी एवं पिता के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी 1 से 5 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। चालू जमाबंदी नकल निम्नवत है :-

ग्राम का नाम :- सरगोठ	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- सरगोठ	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.ति. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकार्ड :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 46
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 48
काश्तकार का नाम:-	



उपखण्ड अधिकारी

ग्राम का नाम :- सरगोठ	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी					
पटवार हल्का :- सरगोठ	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 46					
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 48					
1. गिरधारी पुत्र मेघाराम हिस्सा- 54/295 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
2. नानगराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा- 16/59 जाति- मेहरा सा. पलाडा खातेदार						
3. बीरमाराम पुत्र सुखराम हिस्सा- 161/590 जाति- जाट सा. पलाडा खातेदार						
4. भंवरसिंह पुत्र मोहनराम हिस्सा- 161/590 जाति- जाट सा. पलाडा खातेदार						
राहिन हिस्सा-161/590 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा KUCHAMAN CITY,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
968	1.8700	बारानी 1	1.8700	11.22		स्वीकृत नामांतरकरण : 1158 20/09/2019 विरासत
969	0.8800	बारानी 1	0.8800	5.28		स्वीकृत नामांतरकरण : 1163 07/10/2019 हकत्याग
970	3.1500	बारानी 1	3.1500	18.90		स्वीकृत नामांतरकरण : 1189 21/01/2020 रहननामा
कुल खसरे - 3	5.9000		5.9000	35.4000		
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।						
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।						

ग्राम का नाम :- सरगोठ	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी					
पटवार हल्का :- सरगोठ	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार					
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर					
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 117					
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 115					
काश्तकार का नाम:-						
1. कजूराम पुत्र मंगाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
2. गणेशराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
3. गुली पत्नी भवानीबक्स हिस्सा- 1/16 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
4. गिरधारीराम पुत्र मंगाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
5. नानगराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
6. बाबूलाल पुत्र भवानीबक्स हिस्सा- 1/16 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार						
7. श्रवण पुत्र गोरधनराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार,						
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
920	0.8200	बारानी 1	0.8200	4.92		
कुल खसरे - 1	0.8200		0.8200	4.9200		



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- पदमपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- सरगोठ	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- मण्डावरा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 37
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 124

काश्तकार का नाम:-

1. आचीदेवी पत्नि भंवरलाल हिस्सा- 1/16 जाति- कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार
2. गंगादेवी पत्नि गिरधारीराम हिस्सा- 1/8 जाति- मेहरा सा. देह खातेदार
3. ग्यारसीदेवी पत्नि श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
4. गुलाबदेवी पति इसरराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
5. जमनालाल पुत्र रामधन हिस्सा- 1/16 जाति- कुमावत सा. कुचामनसिटी खातेदार
6. जसवीर पुत्र श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
7. तेजाराम पुत्र श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
8. प्रताप पुत्र श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
9. पिंकी चौधरी पुत्री श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
10. बोदूराम पुत्र बालूराम हिस्सा- 1/4 जाति- रेगर सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा MEETHRI(NAWA)
11. भंबरीदेवी पत्नि तुलछाराम हिस्सा- 1/16 जाति- कुमावत सा. श्रवणपुरा खातेदार
12. मनोहरी पुत्री श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
13. राजेन्द्रकुमार पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार
14. लालाराम पुत्र सुजाराम हिस्सा- 1/16 जाति- कुमावत सा. हरिपुरा खातेदार
15. सुखीदेवी पुत्री श्योजीराम हिस्सा- 1/56 जाति- जाट सा. देह खातेदार
- राहिन हिस्सा-1/56 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामन सिटी
16. सुरेशकुमार पुत्र बोदूराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
398	0.0200	गै.मु.कुंआ	0.0200			स्वीकृत नामांतरकरण : 8 01/10/2018 रहनमुक्त
399	8.7900	चाही 1	7.0600	चा.नं. 398		स्वीकृत नामांतरकरण : 19 05/04/2019 बेचान
		जाव 1	1.7300	चा.नं. 398		स्वीकृत नामांतरकरण : 23 16/04/2019 रहननामा
						स्वीकृत नामांतरकरण : 29 27/05/2019 बेचान
						स्वीकृत नामांतरकरण : 48 20/07/2020 बिरासत
कुल खसरे - 2	8.8100		8.8100			


इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008-2027 ग्राम सरगोट के खसरा नम्बर 532 रकबा 54 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 533 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 54 बीघा 9 बिस्वा में टीकू वल्द हणुता कौम जाट 1/4 रामदीन वल्दर मोडु रेगर 1/4 गिरधारी वल्द मगा 1/4 बलदेवसिंह वल्द सालग कुम्हार 1/4 खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2011-2014, 2017-2022, 2023-2026, 2027-2030, 2034-2037, 2038-2041 में भी उक्त अनुसार प्रविष्टि दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008-2027 सरगोट के खसरा नम्बर 277 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा गिरदारी वल्द मेगा कौम मेहरा सा. देह खातेदार, खसरा नम्बर 295 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 144 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा में मंगा वल्द सोला कौम मेहरा सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2011 से 2014 खसरा नम्बर 277 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा में गिरधारी वल्द मेगा कीर सा. देह खातेदार दर्ज है, 2015-2018, 2019-2022, 2023-2026, 2027-2030, 2031-2034, 2034-2037 जमाबंदी नकल सम्वत 2038-2041 खसरा नम्बर 278 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में गिरधारीराम पि. मेघाराम मेहरा 6 बीघा 10 बिस्वा नानगराम पुत्र गोरधनराम मेहरा 9 बीघा 15 बिस्वा बीरमाराम पुत्र सुखाराम मोहनराम पुत्र बालुराम जाट 12 बीघा सा. देह खातेदार दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अनुसार जगदीश पुत्र गिरधारी की मृत्यु 6.5.2015 को हो चुकी है, गंगादेवी पत्नी गिरधारी की मृत्यु 7.10.1995 को हो चुकी है, गिरधारीराम पुत्र मेघाराम की मृत्यु दिनांक 28.07.1988 को हो चुकी है, पुराना राशन कार्ड सं. 9113 की छाया प्रति अनुसार गिरधारी पुत्र मेघाराम पदमपुरा के गंगा जगदीश का नाम अंकित है नया राशन कार्ड सं. 208381900320 जगदीश प्रसाद पुत्र गिरधारी के नाम से जारी किया हुआ है। आधार कार्ड जगदीश पुत्र गिरधारी पदमपुरा सरगोट के नाम से जारी है तथा पहचान पत्र वोटर आई डी RJ/25/196/585405 जगदीश पुत्र गिरधारी सरगोट के नाम से जारी है। वादग्रस्त खसरान गत खसरान की प्रस्तुत जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल से सही है। गत खसरान की भूमि गिरधारी पुत्र मेघाराम एवं गंगादेवी पत्नी गिरधारी के नाम दर्ज चली आई है तथा वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 इनके वारिसान है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, शपथ-पत्र, राशन कार्ड की पुरानी एवं नई प्रतियों इत्यादि से साबित होती है। वर्तमान जमाबंदी नकले इत्यादि में आज दिन वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वजो का नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि उनकी मृत्यु पश्चात वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का नाम दर्ज होना चाहिए था। वर्तमान जमाबंदी में अंकित प्रविष्टि में गिरधारी एवं गंगादेवी के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है, अतः वाद वादीया काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।





उपखण्ड अधिकारी
कचामन सिटी (नागौर)

निर्णय

अतः वाद वादीया डिक्री किया जाता है ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 398 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 399 रकबा 8.79 हैक्टर में गंगादेवी पत्नी गिरधारीराम हिस्सा - 1/8 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 968 रकबा 1.87 हैक्टर खसरा नम्बर 969 रकबा 0.88 हैक्टर खसरा नम्बर 970 रकबा 3.15 हैक्टर कुल रकबा 5.90 हैक्टर में गिरधारी पुत्र मेघाराम हिस्सा- 54/295 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 920 रकबा ~~3.51~~^{0.82} हैक्टर में गिरधारीराम पुत्र मंगाराम हिस्सा - 1/4 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




(बबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बड़जलास : बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 15/2020 RCMS 2020/00034

वादीया

1. रूकमा देवी पत्नी जगदीश जाति मेहरा (कीर) निवासी सरगोट तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजूराम पुत्र जगदीश
2. रतनलाल पुत्र जगदीश
3. नन्दाराम पुत्र जगदीश
4. औमप्रकाश पुत्र जगदीश
5. बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति मेहरा (कीर) निवासीगण सरगोट तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी
दावा बाबत इस्तकारार हक व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राज. काश्त. अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री रामनिवास अधिवक्ता हाजिरी
..... मिनजानिब मुदई रू-बरू अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
अतः वाद वादीया डिक्री किया जाता है ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के
वर्तमान खसरा नम्बर 398 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 399 रकबा 8.79 हैक्टर में गंगादेवी पत्नी
गिरधारीराम हिस्सा - 1/8 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ग्राम सरगोट के खसरा नम्बर 968 रकबा 1.87 हैक्टर खसरा नम्बर
969 रकबा 0.88 हैक्टर खसरा नम्बर 970 रकबा 3.15 हैक्टर कुल रकबा 5.90 हैक्टर में गिरधारी पुत्र मेघाराम
हिस्सा- 54/295 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है, ग्राम सरगोट के खसरा नम्बर 920 रकबा 3.00 हैक्टर में गिरधारीराम पुत्र
मंगाराम हिस्सा - 1/4 जाति मेहरा सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु
तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज मुबलिग बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी
सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 10 सन् 2021 को जारी की
गई।

(मुहर)



दस्तखत

ओहरी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।